# न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी मंगलाराम पूनिया आर ए एस

**राजस्व अपील / 223 / रा.का.अधि. / 120 / 2022 / बाड़मेर**

| **अपीलांट** | **रेस्पोडेंटगण** |
|---|---|
| जेठाराम पुत्र आदुराम जाति भील निवासी मौखावा तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर | 1. दुर्गाराम पुत्र लिछमणाराम कौम भील निवासी मघणी मेगवालों की ढाणी तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर<br>2. सोनाराम पुत्र ईशराराम जाति भील निवासी तेतरोल तहसील सांचोर जिला जालोर<br>3. वचनाराम पुत्र हनाराम कौम भील निवासी उम्मेदाबाद तहसील व जिला जालोर<br>4. रामु पत्नी जेठाराम<br>5. कालुराम पुत्र जवाराराम<br>6. मोडुराम पुत्र जवाराराम<br>7. बबरीदेवी पत्नी जवाराराम जाति भील निवासी मौखावा तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर<br>8. शारदा पत्नी शम्भुराम जाति भील निवासी भीलो की ढाणी<br>9. थ्गरधारीराम पुत्र नाथाराम जाति भील निवासी राठौड़ों की ढाणी उर्फ मालियों की ढाणी<br>10. बाबुलाल पुत्र बनाराम जाति भील निवासी लुणवा चारणान तहसील गुड़ामालानी<br>11. तहसीलदार गुड़ामालानी |

**अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व सहायक कलक्टर गुड़ामालानी द्वारा राजस्व वाद संख्या**

23.2.24
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

**101/2020 बअनवान दुर्गाराम बनाम जेठाराम में पारित निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 16.05.2022 के विरूद्ध पेश हुई।**

1. वकील श्री मोहनलाल विश्नोई अपीलान्ट की ओर से।
2. वकील श्री डालुराम चौधरी रेस्पोडेंट की ओर से।

## निर्णय

**दिनांकः—23.02.2024**

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि उतरदाता संख्या 01 से 03 वादीगण ने अधीनस्थ न्यायालय में एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर यह अभिकथन किया था कि तहसील गुड़ामालानी के राजस्व ग्राम राठौड़ों की ढाणी उर्फ मालियों की ढाणी के खेत खसरा संख्या 1655 रकबा 55.15 बीघा वादीगण व प्रतिवादी संख्या 01 से 08 का आया हुआ है। अपीलाधीन आराजी वादीगण की क्रय सुदा है जिसमें वादी संख्या 01 का 391/3345 हिस्सा, वादी संख्या 2 का 151/669 हिस्सा, वादी संख्या 3 का 1/3 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 01 से 08 का 1084/3345 हिस्सा खातेदारी व कब्जा काश्त का आया हुआ है जिसको विभाजित करवाने का अधिकारी है। अपीलाधीन आराजी संयुक्त खातेदारी में होने एवं प्रत्येक खातेदारान के हिस्सानुसार राजस्व रैकर्ड में विभाजन नहीं होने से पक्षकारान के हिस्सानुसार राजस्व रैकर्ड में विभाजन नहीं होने से पक्षकारान के मध्य विवाद रहता है इसलिए हस्तगत वाद मातहत अदालत मे पेश किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री एकतरफा पारित की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किये बिना पारित की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटस को सुनवाई का समुचित अवसर दिये बिना निर्णय कर डिक्री पारित कर विभाजन प्रस्ताव तहसीलदार गुड़ामालानी से तलब करने का आदेश पारित करने में अधीनस्थ न्यायालय ने भारी कानूनी एवं तथ्यों की भूल की गई, जिसके विरूद्ध हस्तगत अपील पेश की गई।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। दोनों विद्वान अधिवक्ताओं की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

वकील अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटस के नाम से जारी सम्मनों पर सम्यक तामिल नहीं करवाई गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलकर्ता को जारी रजिस्टर्ड नोटिस कभी भी अपीलकर्ता को नहीं मिला अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जारी नोटिस को वादीगण द्वारा डाकिये को अनुचित

23.2.24
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

रूप से प्रभावित करते हुए वादीगण द्वारा अपने आपको प्रतिवादी बताकर रजिस्टर्ड डाक को प्राप्त कर लिया गया ऐसी स्थिति में हस्तगत प्रकरण की जानकारी कभी भी अपीलकर्ता को नहीं हुई एवं अपीलकर्ता की पीठ के पीछे फर्जी एवं मिलावट कर तामिल बताकर एकपक्षीय निर्णय एवं डिक्री अपने पक्ष में जारी करवा दी। ऐसी स्थिति में अपीलकर्ता पर हस्तगत प्रकरण की सम्यक तामिल कभी भी नहीं हुई है। जबकि अपीलांट को प्राकृतिक न्याय एवं साम्या के सिद्धांतों के अनुसार सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिया जाना अतिआवश्यक था किन्तु नहीं दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया। अधीनस्थ न्यायायल द्वारा अपीलांट को अपनी शहादत पेश करने कोई अवसर नहीं दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित करते वक्त कानूनी प्रावधानों की अनदेखी करके पारित किया गया है जो प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के विपरीत है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किये बिना पारित की गई। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय खारिज फरमाया जावे।

वकील रेस्पोडेंट ने बहस करते हुए बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटस को रजिस्टर्ड से सम्मन भिजवाये गये, जिसकी पर्याप्त तामिल होने के बावजूद भी जानबुझकर न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं हुए। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की गई जो न्यायोचित है। हिस्सों को लेकर अपीलांट द्वारा किसी भी प्रकार का उजर पेश नहीं किया गया। अपीलांटस द्वारा हस्तगत प्रकरण को अनावश्यक लंबा करने की नियत से यह अपील पेश की। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आराजी में वर्णित समस्त संयुक्त खातेदारों के हिस्सों ध्यान में रखते हुए निर्णय पारित किया गया। अपीलाधीन डिक्री में किसी भी प्रकार की कानूनी कमी नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन करते हुए पारित की गई। अतः अपीलांट की अपील खारिज फरमायी जावे।

वकील अपीलांट ने अपील के पैरा "ई" में वर्णित धारा 5 लिमिटेशन के प्रार्थना–पत्र पर अपनी बहस करते हुए बताया कि अपीलाधीन निर्णय व डिक्री एकपक्षीय रूप से पारित किया गया। जिसकी जानकारी अपीलकर्ता को तत्समय नहीं रही। अर्सा एक सप्ताह पूर्व वादग्रस्त खेत की भूमि पर पटवारी हल्का द्वारा विभाजन प्रस्ताव करने हेतु अपीलकर्ता को फोन पर इतला दी तो अपीलकर्ता को अपने हक हकुक संशय उत्पन्न होने लगे तब अपीलकर्ता द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित होकर दिनांक 01.09.2022 को अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री की प्रमाणित

23.2.24
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

प्रतिलिपि हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया जो दिनांक 02.09.2022 को प्राप्त होने पर सर्वप्रथम उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री का ज्ञान हुआ। अपीलांटस को सम्पूर्ण तथ्यों की जानकारी हुई जिससे यह अपील अन्दर म्याद पेश है। अपील पेश करने में हुआ विलंब सद्भाविक है अतः अपील अन्दर मियाद शुमार की जावे।

वकील रेस्पोडेंट ने मियाद अधिनियम के बिंदु पर अपनी बहस करते हुए बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटस को सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया। अपीलांट द्वारा अपील पेश करने में हुई देरी सद्भाविक नहीं। अपीलांटस द्वारा मातहत अदालत के समक्ष दिनांक 06.09.2022 को पेश प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 09 नियम 13 सी पी सी एवं अपील में मियाद के बिंदु पर लिए आधार में भिन्नता है जो विधि सम्मत नहीं है। अपील पेश करने में हुई देरी के एक–एक दिन का हिसाब अपीलांट द्वारा नहीं दिया गया है। अतः लिमिटेशन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज फरमाई जावे।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की लिमिटेशन के बिंदु पर बहस सुनने के पश्चात न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि हस्तगत प्रकरण का निस्तारण तकनीकी बिंदुओं के आधार पर खारिज करने की बजाय इसका निस्तारण गुणावगुण के आधार पर किया जाना युक्तियुक्त एवं न्यायोचित है। लिहाजा अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

पत्रावली का अवलोकन व विद्वान उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन करने के पश्चात यह तथ्य प्रकट हुआ कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटस के नाम से रजिस्टर्ड डाक से सम्मन भिजवाये गये उसके बावजूद भी अपीलांटस जानबुझकर न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं होने से न्यायालय द्वारा अपीलांटस के विरूद्ध विधि सम्मत कार्यवाही करते हुए वाद की स्टेज को आगे बढाया गया। प्राथमिक डिक्री की पालना में विभाजन प्रस्ताव तैयार करने से पूर्व भी अपीलांटस को तहसीलदार गुड़ामालानी द्वारा मौके पर उपस्थित रहने बाबत नोटिस दिया गया जिस पर पर्याप्त तामिल करवाई गई। उसके बावजूद भी हाजा न्यायालय द्वारा भी अपीलांटस को सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया लेकिन हिस्सों को लेकर अपीलांटस द्वारा किसी भी प्रकार का उजर ऐतराज नहीं किया गया जबकि प्राथमिक डिक्री में हिस्सों की ही घोषणा की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय अपीलाधीन निर्णय व डिक्री बाद समुचित सुनवाई के पश्चात पारित की गई। तामिली बिंदु के तनकनीकी आधार पर रेस्पोडेंटस के पक्ष में पारित निर्णय व डिक्री को निरस्त किया जाना न्यायोचित नहीं है। मातहत अदालत द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय व डिक्री में सभी पक्षकारों के राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार हिस्सों की घोषणा की गई। हस्तगत

23.1.24
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

अपील में अपीलांट द्वारा हिस्से को लेकर कोई आपति नहीं की गई जबकि अपीलाधीन निर्णय से हिस्से की घोषणा की गई है। अपीलाधीन निर्णय व डिक्री राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार पारित की गई। अपीलाधीन निर्णय व डिक्री में किसी भी प्रकार की वैधानिक त्रुटि दृष्टिगोचर नहीं होती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन करते हुए पारित की गई। उपरोक्त विवेचन एवं तथ्यों के आलोक में अपीलांट की अपील सारहीन होने से खारिज करने योग्य ठहरती है।

लिहाजा अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर गुड़ामालानी द्वारा राजस्व वाद संख्या 101/2020 बअनवान दुर्गाराम बनाम जेठाराम में पारित निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 16.05.2022 को यथावत रखा जाता है। अपीलांटस को न्यायहित में विभाजन प्रस्ताव पर सुनवाई का अवसर दिया जाकर उभयपक्षकारान को सूचित करते हुए भूमिधारक तहसीलदार गुड़ामालानी स्वयं मौके पर जाकर राजस्थान काश्कारी अधिनियम एवं राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम 1955 के नियम 18 से 21 की पूर्ण पालना करते हुए सड़क पर हिस्से अनुसार माफिक प्राथमिक डिक्री दिनांक 16.05.2022 बाई मिटस एण्ड बाउंड विभाजन प्रस्ताव तैयार कर मातहत अदालत में पेश करे तत्पश्चात मातहत अदालत नियमानुसार गुणावगुण पर निर्णय पारित करे।

23.2.24
(मंगलाराम पूनिया)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

यह निर्णय आज दिनांक 23.02.2024 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

23.2.24
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर